

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
आयकर भवन, रवींद्र पथ, हजारीबाग।

सं.सं.आ.आ./हजा./१२क- ५५/२००९-१०

दिनांक, हजारीबाग १४वीं, जुलाई, २०१०

आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२क/कक के तहत आदेश

'राह सोसाईटी', खैराचतर, कसमार, बोकारो ने आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक १६.०३.२०१० को अपने सविधान दिनांक २५.०७.२००६ की प्रतिलिपि के साथ इस कार्यालय में दाखिल किया है। न्यास को आयकर अधिनियम की धारा १२क/कक के अन्तर्गत दिनांक १६.०३.२०१० से पंजीकृत किया जाता है।

इस कार्यालय में धारा १२क/कक के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन को क्रम सं. ५५/२००९-१० से प्रविष्ट कर दी गई है।



ह/-

[भी. बी. एक्का]

आयकर आयुक्त, हजारीबाग।

जापन सं.आ.आ./हजा./१२क- ५५/२००९-१०/ ३५७-५१
दिनांक, हजारीबाग १४वीं, जुलाई, २०१०

प्रतिलिपि प्रेषित :-

१. सचिव, राह सोसाईटी, खैराचतर, कसमार, बोकारो।
२. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - ३, बोकारो।
३. आयकर उपायुक्त, अंचल - ३, बोकारो।

गोविंद क. सिन्हा
[ए. के. सिन्हा]

आयकर अधिकारी, मु. (क)

कृते: आयकर आयुक्त, हजारीबाग।